I

50

संख्या : 950 /IV(2)–श0वि0–11–12(मु0मं0घो0) / 11

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक : 2 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2011

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में अवस्थापना विकास निधि से नगर पालिका परिषद, श्रीनगर में अलकनन्दा नदी तट पर स्थान कमलेश्वर में स्नानघाट निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में अवस्थापना विकास निधि से नगर पालिका परिषद, श्रीनगर के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी तट पर स्थान कमलेश्वर में स्नानघाट निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 5.00 लाख की लागत के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत ₹ 5.00 लाख की संस्तुति दी है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य हेतु ₹ 5.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **₹ 5.00 लाख (₹ पांच लाख मात्र)** धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. उक्त धनराशि **₹ 5.00 लाख (₹ पांच लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी।

ii. स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त अवमुक्त धनराशि को पी0एल0ए0 में रखा जायेगा और यदि निकाय के पास पी0एल0ए0 नहीं है तो तत्काल पी0एल0ए0 खुलवाये जाने की कार्यवाही करते हुए धनराशि को बैंक में रखा जायेगा तथा पी0एल0ए0 खुलने के बाद धनराशि को पी0एल0ए0 में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जब तक धनराशि बैंक में रखी जायेगी तब तक 6 माह में अर्जित ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा कर शासन को सूचित कर दिया जायेगा।

iii. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

iv. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के अ[redacted] दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार [redacted] हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

v. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

vi. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

vii. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

viii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

ix. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

x. निर्माण सामग्री को [redacted] पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा [redacted] ग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

xi. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

xii. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xiii. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

xiv. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण ऐजेन्सी के अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

xv. निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।

xvi. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

xvii. कार्यदायी संस्था के चयन में वर्तमान प्रभावी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जाय।

xviii. यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं, तब संबंधित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।

xix. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।

xx. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये, जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

xxi. उक्त कायं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

xxii. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

xxiii. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय

अवस्थापना सुविधाओं का विकास'' के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 499/XXVII(2)/2011, दिनांक– 29 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0– 950 (1)/IV(2)-श0वि0–11,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, बौड़ी।
6. जिलाधिकारी, पौड़ी।
7. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को घोषणा अनुभाग के पत्र संख्या 321(33)/XXXV–4–412/2011 घो0/2011 दिनांक 2–5–2011 के क्रम में।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, **श्रीनगर**।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव